# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–134/2023

**प्रार्थीः–**

अब्बास खान पुत्र कादर खान जाति मुसलान निवासी पिंजारो का वास सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा

**बनाम**

**विप्रार्थीगणः–**

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. कालूखॉ पुत्र कादर खॉ
3. गोदूखां पुत्र गफूर खां
4. नबुखां पुत्र वली खां
5. मदुखां पुत्र वली खां
6. मोहन खां पुत्र गफूर खां
7. सुबानखां पुत्र गफूर खां
8. सूबानखॉ पुत्र कादर खॅ
9. समुटी पत्नी गफूर खां फौत के कायम मुकाम विप्रार्थी संख्या 3,6,7,10
10. सलीम खां पुत्र गफूर खां
11. सुवटी पत्नी वली खां(फौत ) के कायम मुकाम विप्राथी संख्या 4,5,12
12. हनीफ खां पुत्र वली खां
13. माने खॉ पुत्र भूरे खां
14. हनीफ खॉ पुत्र भूरे खां

सभी जातियान मुसलमान निवासीयान सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती**

**उपस्थित :–**

**श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता प्रार्थी**

**–:: आदेश ::–**

दिनांक :– 30.08.2024

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1136,1101,1137,1138 व 1152 रकबा क्रमशः 2.9213,4.9700,0.8600,0.8473 व 1.8211 हैक्टयर भूमि ग्राम सिवाना तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,बैंक आदि में उसका वास्तविक [illegible]स खान पुत्र कादरखान" दर्ज है किन्तु विवादित भूमियों के [illegible] का नाम "हब्बासखॉ पुत्र कादरखॉ"लिख दिया । इस [illegible] होने से प्रार्थी अपनी [illegible] के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं [illegible] पा रहा है। अतः प्रार्थी [illegible] रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.10.17 13:51:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/1371 दिनांक 22.08.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में पेनकार्ड,राशनकार्ड,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की नकल आदि प्रस्तुत किये है।

दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''अब्बास खान पुत्र कादर खान '' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम सिवाना तहसील सिवाना के खसरा संख्या 1136,1101,1137,1138 व 1152 रकबा क्रमशः 2.9213,4.9700,0.8600,0.8473 व 1.8211 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का नाम ''हब्बास खॉ पुत्र कादर खॉ'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के पेनकार्ड,राशनकार्ड,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की नकल आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''अब्बास खान पुत्र कादर खान'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''हब्बास खॉ पुत्र कादर खॉ'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''हब्बास खॉ पुत्र कादर खॉ'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सिवाना तहसील सिवाना के खसरा संख्या 1136,1101,1137,1138 व 1152 रकबा क्रमशः 2.9213,4.9700 ,0.8600,0.8473 व 1.8211 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''हब्बास खॉ पुत्र कादर खॉ'' के स्थान पर ''अब्बास खान पुत्र कादर खान'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को [illegible] सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.08.2024 को सरे[illegible]लास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.10.17 13:51:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)